समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल,ग्वालियर(म.प्र.)

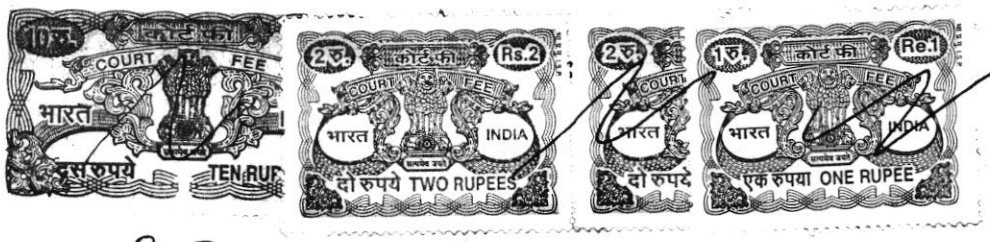

R-784-PBR/14

श्री दिवाकर दीक्षित, वकील द्वारा आज दि. 5-3-14 को प्रस्तुत
5-3-14 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 11.50 AM

1. **हबीब रहमान** आयु 57 वर्ष

आ0 स्व0 श्री अब्दुल रहमान

निवासी – मोहल्ला–जुमेराती,होशंगाबाद(म.प्र.)

हाल निवास– मकान नं0–1165,नया मोहल्ला,

लाल बिल्डिंग के पीछे जयप्रकाश नारायण वार्ड,तहसील व जिला जबलपुर(म.प्र.)

2. **महफूज रहमान** आयु 47 वर्ष

आ0 स्व0 श्री अब्दुल रहमान

निवासी – मोहल्ला–जुमेराती,होशंगाबाद(म.प्र.)

हाल निवास– मकान नं0–1165,नया मोहल्ला,

लाल बिल्डिंग के पीछे जयप्रकाश नारायण वार्ड,

तहसील व जिला जबलपुर(म.प्र.)......................................**पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण**

दिवाकर दीक्षित
5-3-14

विरूद्ध

1. **अब्दुल जलील** आयु 58 वर्ष

आ0स्व0 श्री इब्राहिम शाह

2. **श्रीमती मकसूम** बी आयु 62 वर्ष

पत्नि स्व0 श्री मुश्ताक अली

3. **इसरारअली**
आत्मज स्व. श्री सुल्तान अली
उम्र – लगभग 49 वर्ष

4. **सलीम**
वल्द स्व. श्री इब्राहीम शाह
उम्र – लगभग 56 वर्ष

5. **सज्जाद अली**
आत्मज स्व. श्री मुसर्रफ अली
उम्र – लगभग 65 वर्ष

6. **अशफाक अली**
वल्द स्व. श्री मुश्ताक अली
उम्र – लगभग 45 वर्ष
क्र. 1 से 6 सभी निवासी –
हिन्दी प्राइमरी स्कूल के पास
मोहल्ला जुमेराती, होशंगाबाद
तहसील व जिला – होशंगाबाद (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थीगण
आपत्तिकर्तागण

NOTARY
P. K. BENDEL
496, Mahatma Gandhi Ward Dixitpura, Jabalpur
Reg. No.- एम.पी.-19/25/09/21
ब (दो) 2013
GOVT. OF M.P. INDIA

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा – 50

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण / आवेदकगण विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण क्र. 239 / अपील / 08–09 (श्री अब्दुल रहमान एवं अन्य बनाम अब्दुल जलील एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 7 / 11 / 2013 से व्यथित हो यह पुनरीक्षण याचिका निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 784– PBR / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–1–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 7–11–13 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि आवेदकगण द्वारा अपंजीकृत पारिवारिक समझौते के आधार पर नामांतरण चाहा गया है, ऐसी स्थिति में उक्त समझौते से स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होता है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा निगरानी निरस्त करने में प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि जहां स्वत्व का विवाद हो, वहां स्वत्व का निराकरण हुए बिना नामांतरण की कार्यवाही की जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, और स्वत्व के निराकरण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	

पत्री आ०—